

फैक्स एवं
ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी0बी0टी0-30-29/2017.....73/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेगूसराय

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ता एवं यात्रा व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्नप्रकार कुल-6,93,050/- (छः लाख तिरानवें हजार पचास) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

॥ आवंटित राशि का ब्यौरा ॥

क्र0सं0	विषयशीर्ष	आवंटन की राशि (रूपये में)
1.	0001.01.04-मकान किराया भत्ता	6,11,600/- (छः लाख ग्यारह हजार छः सौ)
2.	0001.01.07-अन्य भत्ता	5,000/- (पाँच हजार)
3.	0001.11.01-यात्रा व्यय	76,450/- (छिहत्तर हजार चार सौ पचास)
कुल:-6,93,050/- (छः लाख तिरानवें हजार पचास) रुपये ।		

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या-543, दिनांक-20.02.2018 एवं 151, दिनांक-11.01.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ता एवं यात्रा व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक 17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001170001 है

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0बी0टी0-30-29/2017.....73/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0बी0टी0-30-29/2017.....73/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0बी0टी0-30-29/2017.....73/जे0, पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

जी0पी0